## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

## <u>फाइलिंग नंबर 235103002722016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—343 / 16</u> संस्थापित दिनांक—08.09.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
अभियोजन	
विरुद्ध	
01—सुरेश लोधी पुत्र भागीरथ लोधी उम्र 28 साल निवासी	
ग्राम खैरा थाना चंदेरी, जिला अशोकनगर।	
	आरोपी
राज्य द्वारा :-	- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :-	- श्री मिर्जा अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 31.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 456, 354 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।
- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी

सुनीताबाई ने दिनांक 19.08.2016 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को रात करीब 9 बजे वह अपने घर के उसरा में खिटया पर सो रही थी उसके बच्चे दूसरी खिटया पर उसके बगल में सो रहे थे। उसका पित राजघाट पर गया था। उसी समय सुरेश लोधी आया और उसके उपर बुरी नीयत से लेट गया, उसकी नींद खुली तो उसने उसे पहचान लिया तथा उससे कहा कि उपर क्यों लेट गए तो वह बोला कि हल्ला मत कर। वह चिल्लाई तो उसका जेठ बालचंद आ गया, फिर उनमें धक्का देकर सुरेश भाग गया। फिरयादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 405/16 के अंतर्गत भादिव की धारा 456, 354 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 456, 354 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1 क्या आरोपी ने दिनांक 18.08.16 को समय 21.00 बजे फरियादिया का
  - . उसरा ग्राम खैरा चंदेरी पर सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के पश्चात् निवासगृह में प्रवेश कर रात्रि गृह भेदन गृह अतिचार कारित किया ?
  - 2 क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया सुनीताबाई जो कि एक स्त्री है, उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

## –:: सकारण निष्कर्ष ::–

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 तथा 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा. 02 सुनीताबाई, अ.सा. 03 बालचंद की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 02 सुनीताबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को पैसे के लेन देन पर उसका आरोपी से विवाद हो गया था। अ.सा. 02 के अनुसार आरोपी ने घर के बाहर गाली गलौच की थी। अ.सा. 02 के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 02 लेखबद्ध कराई थी तथा पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी 03 बनाया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर के अंदर घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद था। अ.सा. 03 बालचंद ने भी अपने कथन में बताया है कि उसने घटना के दिन चिल्ला चौंट की आवाज सुनी थी तथा दोनों पक्षों के मध्य कहासुनी हो रही थी। अ.सा. 03 के अनुसार वाद विवाद किस बात को लेकर हुआ था उसे जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने रात्रि में फरियादी के घर में घुसकर उसके साथ छेडछाड की थी।

08— प्रकरण में अभियोजन की ओर से डॉ एस पी सिद्धार्थ की साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, किंतु उक्त साक्षी ने फरियादी के शरीर पर कोई चोट न होना पाया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि एक भी साक्षी ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादी के घर में रात्रि में प्रवेश किया गया और न ही यह बताया गया है कि घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया।

- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 456, 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)